न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 10/2013

दर्ज दिनांकः 07/06/2013

निर्णय दिनांकः 29/12 /2017

सीतादेवी पुत्री स्व. श्री सुजा पत्नि श्री प्रभुदयाल, जाति रैगर, निवासीः कस्बा फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः 3494, रैगरो की कोठी, रैगरो का मोहल्ला, घाटगेट जयपुर।

.....प्रार्थीया/अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत फागी पं सं. फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. रामावतार पुत्र स्व. श्री सुजा जाति रैगर निवासीः कस्बा फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. पुष्पा देवी धर्मपत्नि श्योजीराम जाति बैरवा निवासीः ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. माया देवी धर्मपत्नि सीताराम जाति बैरवा निवासीः ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. नैना देवी धर्मपत्नि छोटीलाल जाति बैरवा निवासीः ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी अपील में प्रार्थीया/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त उनवान से एक अपील प्रस्तुत की है जिसके आदेश की जानकारी प्रार्थीया को सर्वप्रथम दिनांक 13/05/2013 से पूर्व नहीं रही है। प्रार्थीया कम पढी लिखी महिला जो राजस्व रिकॉर्ड व नाम के बारे में नहीं समझती है इसलिये प्रार्थीया को आज तक उक्त आराजी का अपने पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण अपने नाम नहीं खुलने की जानकारी नहीं हो सकी क्योकि वरवक्त नामान्तकरण तस्दीक दिनांक 29/05/1990 को ग्राम पंचायत फागी द्वारा प्रार्थीया व उसके वारिसान को कोई विधिक सूचना व नोटिस नहीं दिया गया था और ग्राम पंचायत फागी अपीलाधीन नामान्तकरण फैसल कर दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व है तथा निरस्तनीय है। प्रार्थीया को अपीलाधीन नामान्तकरण की आज से पूर्व दिनांक 13/05/2013 से पूर्व जानकारी नहीं थी क्योकि प्रार्थीया मात्र उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त करती चली आ रही थी लेकिन दिनांक 13/05/2013 को अपनी हिस्से की आराजी पर राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ का लाभ लेने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेने पर जानकारी प्रापत होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत है तथा श्रीमान यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारम्भतः शून्य व अवैध निर्णयो पर मियाद अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होता इस कारण मियाद अधिनियम दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की है क्योकि प्रार्थीया कम पढी लिखी होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड के कागजो में नहीं समझती है हाल ही में दिनांक 13/05/2013 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड नकले प्राप्त करने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई है इसलिये जानकारी की दिनांक से अपील प्रस्तुत करने तक हुई देरी को माफ किया जाना न्यायोचित हैं।

उपखण्ड अधिकारी फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थीया/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को न्यायहित में डिलेकन्डोन किया जावे।

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण माया देवी व अन्य ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थीया/अपीलान्ट को संशोधित अपील प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। वकील प्रार्थीया/अपीलान्ट ने संशोधित अपील प्रस्तुत की, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरोकार राज0 ने एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया, जवाब बंद किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, अपील इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थीया/अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत फागी के नामान्तकरण संख्या 2089 दिनांक 29.05.1990 को अपास्त करने के लिये लगभग 23 वर्ष पश्चात् दिनांक 13.05.2013 को नामान्तकरण की जानकारी होने का कथन कर दिनांक 07.06.2013 को अपील अंतर्गत धारा 75 प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर उक्त अपील प्रस्तुति की देरी को डिलेकण्डोन करवाना चाहा है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वकील प्रार्थीया ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो कि अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किया जा सके। प्रार्थीया अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा करने के लिये पर्याप्त सबूत पेश करने में असफल रही है इस कारण मेरे द्वारा न्यायहित में प्रार्थी द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज होने के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वतः खारिज है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर
मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी